प्रपत्र संख्या–4

विक्रय की उद्घोषणा

(नियम 29 व 54)

न्यायालय सहायक खनि अभियंता(वसूली), खान एवं भूविज्ञान विभाग, कोटपूतली

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956(राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956) की धारा 230–235–237 के अधीन चूक करने वाले **श्री कमलसिंह खटाणा पुत्र श्री दीनाराम खटाणा निवासी पदमा की ढाणी पोस्ट कल्याणपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर** द्वारा देय राजस्थान लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्चा, तथा विक्रय का खर्चा जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है, वसूल करने के लिये संलग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क की हुई सम्पति के विक्रय के लिये इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दे दी गई है, विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गये समूहों में सम्पति का विक्रय किया जायेगा।

स्थान को किसी आज्ञा के अभाव में, विक्रय **श्री चेतराम मीना, सर्वेयर** के द्वारा दिनांक 04/03/2024 को **11.00 ए.एम. से 5.00 पी.एम. तक स्थल डाक बंगला, कोटपूतली** में किया जायेगा। तथापि किसी भी लॉट की बोली खत्म होने से पहले अनुसूची में निर्दिष्ट बकाया तथा विक्रय के खर्च दे दिये जाने की दशा में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा।

सामान्यतः विक्रय के समय जनता या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमंत्रित की जाती है। तथापि उक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मंजूर की जायेगी और न उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पष्ट अनुमति के बिना वैध होगा। विक्रय की अन्य शर्ते निम्नलिखित हैः–

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट ब्योरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये है, परन्तु इस उद्घोषणा में कोई त्रुटि गलत विवरण या भूल होने के लिए न्यायालय उत्तरदायी नहीं होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायेगी, विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी। बोली की रकम या बोली लगाने वाले के संबंध में किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में लॉट को तुरंत नीलाम के लिये फिर से रखा जायेगा।
3. सबसे उंची बोली लगाने वाला किसी भी लॉट का खरीददार घोषित किया जायेगा, किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि वह बोली लगाने के लिये वैधिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि उंची बोली को मंजूर करने से इंकार करना उस हालत में न्यायालय का विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा जबकि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित हो।
4. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ओर्डर 21 के नियम 69 के प्रावधानो के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्रय को स्थगित करना, विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा।
5. चल सम्पति की दशा में, प्रत्येक लॉट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने की तुरन्त पश्चात् चुका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य अचल सम्पति की दशा में खरीददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात् उसके क्रय मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत, विक्रय करने वाले अधिकारी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार जमा न कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति, प्रथम विक्रय में होने वाले खर्चे के लिये तथा पुनः विक्रय कि कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिये उत्तरदायी होगा जो कि कलेक्टर द्वारा उससे इस प्रकार वसूली की जा सकेगी मानो वह राजस्व बकाया हो।

(ख) खरीददार द्वारा क्रय मूल्य की पूरी रकम, सम्पति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रहवें दिन, न्यायालय बंद होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी, जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा, या यदि पन्द्रहवां दिन रविवार या अन्य छुट्‌टी का दिन हो तो पन्द्रह दिन के पश्चात् न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा करा दी जायेगी।

(ग) अनुमत अवधि के क्रय–मूल्य की शेष रकम का भुगतान नहीं किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् सम्पति फिर से बेची जायेगी। विक्रय का खर्चा निकालने के पश्चात् जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो, सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकेगी और दोषी खरीददार सम्पति पर या उस रकम के ऐसे किसी भी भाग पर, जिसके लिये वह फिर से बेची जाये, समस्त हक खो बैठेगा।

(घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्रय की आय ऐसे दोषी खरीददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उससे इस प्रकार वसूल किया जायेगा, जैसे की वह राजस्व की बकाया हो।

7. (क) भूमि समस्त भारों से मुक्त बेची जायेगी और ऐसी भूमि के संबंध में खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति पहले से की गई समस्त संविदाएं नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।

(ख) उपरोक्त पैरा(क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिये लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानों या फैक्ट्रियों के निर्माण के लिये या बागो तालाबों नहरों, पूजा के स्थानों या श्मशान भूमियों या कब्रिस्तानों के लिये अस्थाई या स्थाई वास्तविक पट्टों के अधीन धारण की जा रही हो। ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुये भी राज्य सरकार, विक्रय किये जा चुकने से पूर्व किसी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि में धारक द्वारा जिसके मार्फत वह (भूमि धारक) अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधीन विक्रय किया जाय जैसा कि सरकार उचित समझे।

Dmgoms
28/2/24

अनुसूची
वसूल की जाने वाली रकम

1. राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकमः–11,18,09,916/–
2. कुर्की का खर्चाः–नियमानुसार।
3. विक्रय का या यदि सम्पति नीलाम नहीं की गई हो तो अमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्चाः–नियमानुसार

योगः–11,18,09,916/–

बेची जाने वाली सम्पतिः–कुर्क–शुद्धा सम्पति ग्राम पवाला–राजपूत में खसरा नं. 153, 154, 159, 160, 161, 161/560, 162, 156, 157 में से बाकीदार का नोशनल(काल्पनिक) हिस्सा 0.9499 हैक्टयर।

समूहों(लॉटो) की संख्याः–
बेची जाने वाली सम्पति का विवरणः–कुर्क–शुद्धा सम्पति ग्राम पवाला–राजपूत में खसरा नं. 153, 154, 159, 160, 161, 161/560, 162, 156, 157 में से बाकीदार का नोशनल(काल्पनिक) हिस्सा 0.9499 हैक्टयर।
राजस्थान एक्ट 15, 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशा में निर्धारित राजस्वः–
भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मार्फत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो उत्पन्न किये गये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण। तुलनार्थ देखिये राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 236 की उप–धारा

2885
28/2/24

क्रमांकः–सखअ/कोट/वसूली/2024/ 113 दिनांकः–09/02/2024

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड़।
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली।
3. श्रीमान अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, कोटपूतली।
4. तहसीलदार कोटपूतली।
5. डीएमजीओएमएस को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी विज्ञाप्ति को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करावें।
6. पुलिस थाना सरूण्ड को तामील कराने हेतु।
7. सर्वेयर, कार्यालय हाजा।
8. नगर पालिका कोटपूतली।
9. श्री कमलसिंह खटाणा पुत्र श्री दीनाराम खटाणा निवासी पदमा की ढाणी पोस्ट कल्याणपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

आज दिनांक 09/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी की गई है।

सहायक खनि अभियंता (वसूली)
कोटपूतली

सहायक खनि अभियंता (वसूली)
खान एवं भूविज्ञान विभाग, कोटपूतली